डिस्कलेमर

आदेश संख्या 26/2022-23 के मुख पृष्ठ, प्राधिकरण के निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमवाईटीपी/बीएएसटीपीएल/जीएच/त्रिचि /सीपी-III/2021-26/

आदेश संख्या 2623-2022//

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (त्रिचि) प्राइवेट लिमिटेड (बी.ए.एस.टी.पी.एल.) द्वारा त्रिचि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (टी.आई.ए.), तिरूचिरापल्ली में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 18 अक्टूबर, 2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

अध्याय 7 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

बीएएसटीपीएल के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.7**	प्राधिकरण त्रिचि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (टीआईए), तिरूचिरापल्ली में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए बीएएसएटीपीएल के टैरिफ निर्धारण कार्य को **"लाइट टच अप्रोच"** के अंतर्गत मानने का निर्णय लेता है, क्योंकि विनियमित सेवा **'नॉन मटीरियल'** समझी जाती है।	**8**
अध्याय संख्या 3	**3.10**	प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और उसके विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार बीएएसटीपीएल द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुत यातायात टैरिफ (बीएएसटीपीएल द्वारा संचालित की जाने वाली उड़ानों) को मानने का निर्णय लेता है।	**10**
अध्याय संख्या 4.	**4.13**	प्राधिकरण तालिका 4 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कैपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	**14**
अध्याय संख्या 5.	**5.23**	प्राधिकरण तालिका 6 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	**20**
अध्याय संख्या 6.	**6.15**	प्राधिकरण बीएएसटीपीएल द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए शेड्यूल्ड उड़ानों, अंतरराष्ट्रीय नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन उड़ानों के संबंध में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए **संलग्नक (I, II और III)** के अनुसार टैरिफ दरों और मदवार टैरिफ दर कार्ड को अपनाने का निर्णय लेता है।	**24**
	6.16	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक (I, II और III)** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।	
	6.17	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों, इनमें मदवार प्रभार भी शामिल हैं, के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।	
	6.18	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।	
	6.19	प्राधिकरण यह भी निर्णय लेता है कि बीएएसटीपीएल नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 01.11.2021 के पत्र संख्या एवी–24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार त्रिचि हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	

अध्याय 8 : आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री और बीएएसटीपीएल द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (बीएएसटीपीएल) द्वारा त्रिचि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (टीआईए), तिरूचिरापल्ली में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं **"नॉन मटीरियल"** है। इसलिए प्राधिकरण प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए **'लाइट टच अप्रोच'** अपनाने का निर्णय लेता है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक (I, II और II)** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।।

(iii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन–शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों, मद-वार प्रभार भी सम्मिलित हैं, के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान(नों) की संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(v) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vi) टैरिफ आदेश 01.11.2022 से प्रभावी किया जाएगा।

(vii) मैसर्स बीएएसटीपीएल ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार त्रिचि हवाईअड्डे पर अपने ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करेगी और प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(viii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (त्रिचि) प्राइवेट लिमिटेड (बीएएसटीपीएल),
श्री संदीप कुमार जैन (सीसीओ),
ई-9 कनॉट हाऊस, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली -110001

प्रतिलिपि:

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. अध्यक्ष, भारतीय विमाननपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
3. श्री एस. धर्मराज, हवाई अड्डा निदेशक, त्रिचि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, त्रिचि – 620007